

प्रेषक,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

अध्यक्ष / सचिव / प्रधानाचार्य,  
सत्र 2026-27 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु  
नव-आवेदित / पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय समस्त संस्थाएँ।

पत्रांक: प्राशिप / परिषद / स0वि0 / 2026 / 2435

लखनऊ: दिनांक: 16-06-2026

**विषय:** सत्र 2026-27 हेतु डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं एवं परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (इंजीनियरिंग / वास्तुकला / फार्मसी) को सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, प्राविधिक शिक्षा, अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या: 66/2026/आई/1365004/2026/16-3099/96/2025, दिनांक: 15-06-2026 (संलग्न 01) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा सत्र 2026-27 हेतु डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं एवं परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (इंजीनियरिंग / वास्तुकला / फार्मसी) को सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किया गया है।

2. उक्त के दृष्टिगत परिषद द्वारा सत्र 2026-27 हेतु डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं एवं परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (इंजीनियरिंग / वास्तुकला / फार्मसी) को ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / सी0ओ0ए0 द्वारा प्रदत्त अनुमोदन / अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में दिनांक: 30.06.2026 तक अनिवार्य रूप से सम्बद्धता / सम्बद्धता विस्तार की कार्यवाही पूर्ण की जानी है।

3. डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थान को नवीन संस्थान प्रारंभ करने हेतु यू-राईज पोर्टल पर उपलब्ध लिंक <https://urise.up.gov.in/affiliation/nocregistration> के माध्यम से आवश्यक सूचना की प्रविष्टि व संबंधित अभिलेख अपलोड करते हुए (पंजीकरण शुल्क) रू0 5000.00 (रूपया पांच हजार मात्र) + (18% जी.एस.टी.) रू0 900.00 (रूपया नौ सौ मात्र) = कुल रू0 5900.00 (रूपया पांच हजार नौ सौ मात्र) ऑनलाईन पंजीकरण शुल्क का भुगतान कर पंजीकरण करते हुये नवीन सम्बद्धता हेतु आवेदन सबमिट कर सकेंगे।

4. परिषद से पूर्व से सम्बद्ध संस्थाएँ सम्बद्धता विस्तार प्राप्त करने हेतु यू-राईज पोर्टल पर दिए गए लिंक <https://urise.up.gov.in/user/dashboard/addemployee> के माध्यम से अपनी संस्था में कार्यरत समस्त शैक्षणिक स्टाफ की सूचना (ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / सी0ओ0ए0 मानकानुसार) अद्यतन (Update) करने के उपरान्त ही सम्बद्धता विस्तार हेतु आवेदन करें। संस्था के SU login के माध्यम से संस्था संबंधी समस्त सूचनाओं की त्रुटिरहित प्रविष्टि करते हुए सत्र 2026-27 हेतु ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 / सी0ओ0ए0 द्वारा निर्गत अनुमोदन विस्तार पत्र की स्पष्ट एवं प्रमाणित प्रति (pdf format) को दिये गये लिंक के माध्यम से अपलोड करने के पश्चात् तथा यू-राईज पोर्टल के माध्यम से आवेदन के समय ही सम्बद्धता विस्तार शुल्क सत्र 2026-27 हेतु दिये गये लिंक के माध्यम से ऑनलाईन जमा करना सुनिश्चित करें।

5. परिषद से पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थान में नया पाठ्यक्रम खोले जाने, संस्थान के नाम परिवर्तन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि / कमी एवं संस्था क्लोजर हेतु यू-राईज पोर्टल पर SU Login के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन आवश्यक सूचना की प्रविष्टि व संबंधित अभिलेख अपलोड कर निर्धारित शुल्क रू0 10000.00

(रूपया दस हजार मात्र) + (18% जी.एस.टी.) रू0 1800.00 (रूपया एक हजार आठ सौ मात्र)= कुल रू0 11800.00  
(रूपया ग्यारह हजार आठ सौ मात्र) ऑनलाईन शुल्क का भुगतान करते हुए आवेदन सबमिट कर सकेंगे।

6. नव-आवेदित/पूर्व से सम्बद्ध संस्थान यू-राईज पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन दिनांक: 30-06-2026 की रात्रि 11:59 बजे तक कर सकेंगे।

7. नव-आवेदित/पूर्व से सम्बद्ध संस्थान को निर्देशित किया जाता है कि वे यू-राईज पोर्टल पर समय से आवेदन करना सुनिश्चित करें।

8. साथ ही यह भी अवगत कराना है कि इस संबंध में यूराईज पोर्टल के अतिरिक्त अन्य किसी भी माध्यम (ऑफलाइन/ऑनलाइन) से आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)  
सचिव

पू०सं०: प्राशिप/परिषद/2026/2436-41

तददिनांक: 16-06-2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन/अध्यक्ष, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को प्रमुख सचिव/अध्यक्ष महोदय के अवगतार्थ।
2. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3. विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा अनुभाग- 3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4. निदेशक, आई०आर०डी०टी०, उत्तर प्रदेश, कानपुर।
5. नोडल अधिकारी यूराईज पोर्टल को उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही हेतु।
6. प्रभारी कम्प्यूटर अनुभाग, प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस निर्देश के साथ कि पत्र परिषद कार्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(डॉ० संतोष कुमार सिंह)  
सचिव

ई-मेल

शीर्ष प्राथमिकता/अतिमहत्वपूर्ण/समयबद्ध

संख्या-66/2026/आई/1365004/2026/16-3099/96/2025

प्रेषक,

विनोद कुमार,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

सचिव,  
प्राविधिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

**प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-3**

**लखनऊ दिनांक: 15 जून, 2026**

विषय:- डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (इंजीनियरिंग/वास्तुकला/फार्मेसी) को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-प्राशिप/परिषद/स0वि0/2026/2315, दिनांक 10.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (इंजीनियरिंग/वास्तुकला/फार्मेसी) को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी आवेदन करने की तिथि को विस्तारित किये जाने का प्रस्ताव किया गया है।

2. उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है आपके द्वारा प्रेषित प्रस्ताव दिनांक 10.06.2026 के आलोक में प्राविधिक शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन डिप्लोमा स्तरीय नई तकनीकी शिक्षा संस्थाओं (इंजीनियरिंग/वास्तुकला/फार्मेसी) को सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने संबंधी शासनादेश संख्या-96/2025/आई/1019139/2025/16-3099/156/2019, दिनांक: 09.07.2025, शासनादेश संख्या-122/2025/आई/1179979/2025/16-3099/44/2025, दिनांक 19.12.2025 एवं शासनादेश संख्या-04/2026/आई/1196159/2026/16-3099/96/2025, दिनांक 06.01.2026 द्वारा आवेदन करने एवं सम्बद्धता/सम्बद्धता प्रदान करने हेतु निर्धारित समयावधि को निम्नवत् समय-सारिणी के अनुसार संशोधित किया जाता है:-

क्रं0 सं0	कार्य विवरण	संशोधित समयावधि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग /डिप्लोमा इन फार्मेसी/वास्तुकला
1.	यू-राईज पोर्टल पर परिषद को सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार हेतु आवेदन करने की तिथि	30 जून तक
2.	जनपदीय समिति से स्थलीय निरीक्षण/ भौतिक सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त करने की तिथि	10 जुलाई तक

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

यु.के.ए. 21/6/26  
6 Special 27/1

श्रीमानेन्द्र (अ.स.)  
श्री निवेदि

16/6/2026

4/5/26  
16/6/26

3. परिषद द्वारा सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार हेतु आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण कर सम्बद्धता/ सम्बद्धता विस्तार जारी करने की तिथि

15 जुलाई तक

3. कृपया उक्त शासनादेश दिनांक 09.07.2025, 19.12.2025 एवं 06.01.2026 को उपर्युक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। यह व्यवस्था शैक्षणिक वर्ष 2026-2027 के लिए ही लागू होगा।

भवदीय,

विनोद कुमार  
विशेष सचिव।

**संख्या व दिनांक तदैव-**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा० मंत्री जी प्राविधिक शिक्षा उ०प्र० को मा० मंत्री जी के अवगतार्थ।
4. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवगतार्थ।
5. निजी सचिव, सचिव, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ।
6. अध्यक्ष/रजिस्ट्रार-कम-सेक्रेटरी, फार्मैसी काउन्सिल आफ इण्डिया, नई दिल्ली।
7. अध्यक्ष/सदस्य-सचिव, ए०आई०सी०टी०ई०, नई दिल्ली।
8. अध्यक्ष, सी०ओ०ए०, नई दिल्ली।
9. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
10. महानिदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, कानपुर।
13. निदेशक, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
14. सचिव, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 व 3
16. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विनोद कुमार  
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।